


राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(36/18)/2018/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती सुमन देवी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दांता (जिला सीकर) को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर. एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 06.04.2018 से 05.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 06.04.2020 से 07.07.2020 तक 93 दिवस का उपार्जित अवकाश।
3. दिनांक 08.07.2020 से 05.04.2021 तक 272 दिवस का असाधारण अवकाश।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(36/18)/2018/1112

दिनांक:- 01/06/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दांता (जिला सीकर)।
3. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी जनरल नर्सिंग स्कूल, पोस्ट सबलपुरा, जिला सीकर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर